

**भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 232
बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारत में लू चलने का प्रभाव**

†232. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार पीएलओएस मेडिसिन में प्रकाशित आस्ट्रेलिया स्थित मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उस अनुसंधान को किस प्रकार देखती है कि भारत पर लू का गंभीर प्रभाव इसके भौगोलिक, जलवायु और सामाजिक-आर्थिक कारकों की वजह से है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि विश्व में भारत में लू लगने से होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है और वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष रिपोर्ट की गई 1.53 लाख मौतों में से 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं;
- (ग) क्या विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने संकेत दिया है कि भारत में वर्ष 2023 में लू लगने से 110 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) पीएलओएस मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन 43 देशों के 750 स्थानों से दैनिक मृत्यु और तापमान के आंकड़ों पर आधारित था। प्रकाशित लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि "अध्ययन की मुख्य सीमा कुछ क्षेत्रों, जैसे अरब प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया से डेटा की कमी थी"।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) देश के विभिन्न जिलों में स्थित स्टेशनों द्वारा बताए गए तापमान मानदंडों के आधार पर लू की स्थिति को परिभाषित करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर मौसम संबंधी मापदंडों पर विचार करता है क्योंकि प्रचलित आर्द्रता, पवन, जलवायु और भौगोलिक जानकारी के कारण लू का प्रभाव बढ़ जाता है।

- (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्षेत्र में लू से जुड़ी सबसे अधिक मौतें (1908) 2015 में हुईं। इसका विवरण संलग्नक-1 में दिया गया है। तब से इसमें कमी आई है, इसका कारण तापमान का निर्बाध मौसम पूर्वानुमान, आईएमडी द्वारा लू की स्थिति के लिए पूर्व चेतावनी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हीट एक्शन प्लान का कार्यान्वयन है।
- (ग) जी हां।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे लू समेत प्रचंड मौसमी घटनाओं के दौरान जान-माल की हानि को कम करने में सहायता मिली है। इनमें शामिल हैं:

- i. तापमान और लू की स्थिति का ऋतुनिष्ठ और मासिक पूर्वानुमान जारी करना।
- ii. भारत में जिलावार लू सुभेद्यशीलता एटलस, जिससे राज्य सरकार प्राधिकरणों एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियां को योजना बनाने तथा उचित कार्रवाई करने में सहायता मिल सके।
- iii. भारत में गर्म मौसम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का विश्लेषण, जिसमें दैनिक तापमान, पवन तथा आर्द्रता की स्थितियां शामिल हैं।
- iv. पूरे देश के लिए लू सूचकांक पूर्वानुमान और जिला स्तर पर लू की स्थिति का प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान।
- v. वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम लू सूचना तथा चेतावनियां।
- vi. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के साथ सहयोग से लू स्थितियों की अधिक संभावना वाले 23 राज्यों में संयुक्त रूप से हीट एक्शन प्लान (HAPs) क्रियान्वित किए गए।
- vii. सही समय पर सार्वजनिक पहुंच हेतु प्रसार प्रणालियों के आधुनिक माध्यमों का प्रयोग करके चेतावनी प्रसारण सेवाओं में सुधार।

वर्ष 2015 में लू / सन स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2015
1	आंध्र प्रदेश	654
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	0
4	बिहार	86
5	छत्तीसगढ़	2
6	गोवा	0
7	गुजरात	52
8	हरियाणा	34
9	हिमाचल प्रदेश	0
10	झारखंड	96
11	कर्नाटक	0
12	केरल	1
13	मध्य प्रदेश	24
14	महाराष्ट्र	61
15	मणिपुर	0
16	मेघालय	0
17	मिजोरम	0
18	नगालैंड	0
19	ओडिशा	60
20	पंजाब	99
21	राजस्थान	41
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	0
24	तेलंगाना #	182
25	त्रिपुरा	0
26	उत्तर प्रदेश	487
27	उत्तराखण्ड	0
28	पश्चिम बंगाल	28
	कुल राज्य	1907
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव @ +	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0
33	जम्मू एवं कश्मीर @ *	1
34	लद्दाख @	-
35	लक्षद्वीप	0
36	पुडुचेरी	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1
	कुल (समस्त भारत)	1908

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार

‘+’ वर्ष 2013-2019 के दौरान तत्कालीन दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

‘*’ वर्ष 2013-2019 के दौरान लद्दाख समेत भूतपूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े

‘#’ 2014 के दौरान नव सृजित राज्य के आंकड़े

‘@’ 2020 के दौरान नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र के आंकड़े

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय
